

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2020
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण

2020. श्री अजय भट्ट:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ख) क्या सरकार ने विशेषकर उत्तराखंड में दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ग) उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कितने प्रतिशत दिव्यांगजनों ने रोजगार प्राप्त किया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए क्या पहलें की गई हैं तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया जो दिनांक 19.04.2017 को लागू हुआ। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों को अधिकार और हकदारियां प्रदान की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समानता का अधिकार, गैर-भेदभाव, क्रूरता और शोषण से बचाव, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान तक पहुंच, विधिक क्षमता, विधिक संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति तक पहुंच तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 34 में बेंचमार्क (40% या उससे अधिक) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 32 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक योजनाओं में 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।

यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्र सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं अर्थात् 'दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप) योजना', 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)' और 'दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)' तथा 'छात्रवृत्ति योजना' के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ख) और (ग): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी)' कार्यान्वित करता है। एनएपी-एसडीपी के अंतर्गत, देश भर में प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में विभाग के साथ पैनलबद्ध विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 15 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाना है ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर और उपयोगी बन सकें। एनएपी-एसडीपी योजना के तहत, उत्तराखंड राज्य सहित देश भर में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह एक मांग आधारित योजना है और प्रस्तावों के आधार पर पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों को निधियां जारी की जाती है।

अब तक, इस विभाग ने 156.94 करोड़ रुपये की लागत से 1.42 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। इनमें से 28000 दिव्यांगजनों के वैतनिक-रोजगार/स्व-रोजगार मिला है।

(घ): यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्र सरकार अपनी निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देती है:-

(i) **सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप):** यह विभाग 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)' योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती है, ताकि पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, उन्नत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त करने में सहायता मिल सके, जिससे देश भर के दिव्यांगजनों में दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके और दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके। विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों को वितरित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सहायक यंत्रों और उपकरणों में मोटर चालित ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस, वॉकिंग स्टिक, सुगम्य स्मार्ट फोन, स्मार्ट केन, लो विजन सहायक उपकरण, श्रवण सहायक उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) किट आदि शामिल हैं।

(ii) **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा):** इस योजना के अंतर्गत, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों तथा केंद्र या राज्य सरकार के तहत आने वाले स्वायत्त संगठनों / संस्थानों/विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) के कुछ प्रमुख घटक हैं:-

(क) दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण

(ख) कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

(ग) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, तथा

(घ) जागरूकता सृजन एवं प्रचार योजना

(iii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):- इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाएं चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) के दौरान 96,111 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।

(iv) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ: इस योजना के अंतर्गत, सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, जैसे प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए), पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक), उच्चतम श्रेणी की शिक्षा (अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा), राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी पाठ्यक्रम) और विदेश में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री/पीएचडी)। पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 1,15,667 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।
